39

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निगरानी 567-II-15

प्रकरण क्रमांक -II /2015 पुनरीक्षण

नरेन्द्र सेनी पुत्र जीवनलाल सेनी
निवासी नयाबांस मौहल्ला वार्ड-7
श्योपुर, परगना एवं जिला-श्योपुर

विरूद्व

1. गौरीशंकर पुत्र गप्पूलाल सेनी
2. परसराम पुत्र गप्पूलाल सेनी
निवासीगण माली मौहल्ला
श्योपुर, परगना एवं जिला-श्योपुर
3. जीवनलाल सेनी पुत्र गप्पूलाल सेनी
निवासी नयाबांस मौहल्ला वार्ड-7
श्योपुर, परगना एवं जिला-श्योपुर

अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 84/11-12/अ.मा. में पारित आदेश दिनांक 24-12-2014 के विरूद्व पुनरीक्षण अंतर्गत धारा-50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है-

1. यह कि, अनुविभागीय अधिकारी महोदय का विवादित आदेश प्रकरण के तथ्यों तथा अभिवचनो एवं अभिलेख के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है.

2. यह कि, अनावेदक-1 व 2 ने तहसीलदार के आदेश दिनांक 11-07-2008 के विरूद्व दिनांक 22-06-2012 को अर्थात 4 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की है इतने लंबे विलम्ब को क्षमा करने में अनुविभागीय अधिकारी ने अपने विचाराधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया है.

3. यह कि, अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अवधि विधान की धारा-5 के अंतर्गत दिये गये आवेदन पत्र का आवेदक ने शपथ पत्र द्वारा समर्थित विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया था अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक के उत्तर में किये गये अभिकथनो पर विचार किये बिना एवं उसमें उठायी गयी आपत्तियों पर सकारण निर्णय दिये बिना विवादित आदेश पारित किया है जो न्यायालीन प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है.

4. यह कि, अनावेदको को तहसील न्यायालय से नियमानुसार सूचना पत्र भेजे गये थे जिनका संहिता के प्रावधानो के अनुसार निर्वाह हुआ एवं अनावेदको के उपस्थित न होने पर उनके

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

.....

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 567/।।/2015 निगरानी — जिला श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-2-2017	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के.वाजपेयी द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी,जिला श्योपुर. के प्रकरण कमांक 84/2011–12/अ.मा. में पारित आदेश दिनांक 24–12–2014 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता–1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि, भूमि सर्वे कमांक 461 रकवा 4 बीधा 10 विस्वा, 1782/5 रकवा 6 बीधा 10 विस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 11 बीधा पर आधिपत्य कृषक अंकित किये जाने हेतु आवेदक द्वारा तहसीलदार तहसील श्योपुर के समक्ष म0प्र0 भू–राजस्व संहिता–1959 की धारा 115–116 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर से तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 14/2007–08/अ6अ पर दर्ज किया जाकर, दिनांक 11–7–2008 को आवेदक का खसरे के खाना नंबर 12 में नाम अंकित किये जाने का आदेश पारित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क.–1 व 2 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष लगभग 4 वर्ष वाद अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 84/2011–12/अ.मा. पर दर्ज कि जाकर, आदेश दिनांक 24–12–2014 को उक्त अपील समयसीमा में मान्य की गई। अनुविभगीय अधिकारी के इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में	

प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एंव अनावेदक क–1 व 2 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस व अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर आधिपत्य कृषक अंकित किये जाने हेतु आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष म0प्र0 भू–राजस्व संहिता–1959 की धारा 115–116 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया था उक्त आवेदन पर से तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 14/2007–08/अ6अ पर दर्ज किया जाकर, दिनांक 11–7–2008 को आवेदक का खसरे के खाना नंबर 12 में नाम अंकित किये जाने का आदेश पारित किया गया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदक क.–1 व 2 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष लगभग 4 वर्ष वाद अपील प्रस्तुत की अपील के साथ धारा–5 म्याद अधिनियम का आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभिलेख के अवलोकन से पाया जाता है कि, अनावेदक कमांक–1 व 2 को तहसीलदार के आदेश की जानकारी पटवारी से होने पर तहसील के आलौच्य आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रात्त की जो दिनांक 20–6–2012 को मिली,जिससे तहसीलदार के आदेश की जानकारी सर्वेप्रथम हुई, अनावेदक कमांक–1 20 वर्षो से अधिक समय से राजस्थान में नोकरी करता तथा 8–10 वर्ष से ग्राम डग जिला झालावाड में रह रहा था। अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि, तहसीलदार द्वारा अनावेदक कमांक–1 व 2 को सूचना पत्र जारी किया गया है, वह सूचना पत्र उन पर तामीली ही नहीं हुआ है सूचना पत्र की तामीली अनावेदक

कमांक–3 द्वारा प्राप्त की गई है। अनावेदक कमांक–3 एवं आवेदक का संबंध आपस में पिता पुत्र का है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अनावेदक कमांक–3 से मिलकर अनावेदक कमाक–1 व 2 के साथ छल किया जाकर, उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। जिससे अनावेदक कमांक 1 व 2 को तहसीलदार के आदेश की जानकारी न होना स्वाभाविक है। जिस कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक कमांक–1 व 2 की अपील समय सीमा में मान्य किये जाने में कोई अवैधानिकता नहीं की है। इस कारण अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी खारिज की जाकर, अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर के प्रकरण कमांक 84/2011–12/अ.मा. में पारित आदेश दिनांक 24–12–2014 विधिसम्मत होने से स्थिर रखा जाता हैं।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश, ग्वालियर